माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2025 दिनांकः– यथाहस्ताक्षर

कार्यालय–आदेश

दिनांक 21.07.2025 को निदेशक, शैक्षिक की अध्यक्षता में विशेष आवश्यकता वाले बालकों/बालिकाओं (CWSN) को देय सुविधाओं व छूट के सबंध में बैठक की गई जिसकी अनुशंषाओं पर दिनांक 03.09.2025 को कार्यालय की बडी क्रय समिति में विचार–विमर्श उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित 21 प्रकार की श्रेणिया निम्नानुसार प्रपत्र 33 में अंकित किया जाये।

दिव्यांग श्रेणी प्रथम वर्ग	दिव्यांग श्रेणी द्वितीय वर्ग
प्रमस्तिष्क पक्षघात (CEREBRAL PALSY-CP)	गतिविषयक दिव्यांगता (LOCOMOTOR DISABILITY-LD)
बधिर (DEAF)	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति (LEPROSY CURED PERSON)
ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति (HARD OF HEARING)	बौनापन (DWARFISM)
वाक् और भाषा दिव्यांगता (SPEECH AND LANGUAGE DISABILITY)	पेशीय दुष्पोषण (MUSCULAR DYSTROPHY)
बौद्धिक दिव्यांगता (INTELLECTUAL DISABILITY)	तेजाब हमला पीड़ित (ACID ATTACK VICTIMS)
विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता (SPECIFIC LEARNING DISABILITIES)	अंधता (BLINDNESS-VI)
स्वपरायण स्पेक्ट्रम विकार (AUTISM SPECTRUM DISORDER)	निम्न दृष्टि (LOW VISION-LV)
मानसिक रूग्णता (MENTAL ILLNESS)	पार्किंसंस रोग (PARKINSON'S DISEASE)
बहु स्क्लेरोसिक (MULTIPLE SCLEROSIS)	हीमोफीलिया (HAEMOPHILIA)
बहु दिव्यांगता (MULTIPLE DISABILITY)	थैलेसीमीया (THALASSEMIA)
	सिक्कल कोशिका रोग (SICKLE CELL DISEASE)

2. दिव्यांगता श्रेणी में CWSN विद्यार्थीयों के छूट/प्रावधानों के तहत प्रपत्र 33 में पृष्ठ 21 बिन्दु सं. 19 उपबिन्दु 8 पर "चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा के साथ पुनः परीक्षा में बैठने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा" को यथावत रखा गया है। (संदर्भित पत्र राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(28)शिक्षा–6/2014/पार्ट बी दिनांक 01.06.2017 निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रंमाक–शिविरा/माध्य/मा–II/22805/वि.सामा./2011–12/161 दिनांक 05.07.2017 एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के क्रमांक मा.शि.बो./एसीए/2022 दिनांक 10.08.2022)

3. प्रपत्र–33 में पृष्ठ सं. 21 बिन्दु सं. 15 "माध्यमिक परीक्षा के तहत मूक बधिर एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (CWSN) को तृतीय भाषा से छूट प्रदान की गई है, किन्तु यदि CWSN वाले परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र में तृतीय भाषा संस्कृत/उर्दू/पंजाबी भरा हो तथा वे सामान्य परीक्षार्थियों के समान तृतीय भाषा का सामान्य प्रश्न–पत्र चाहते हों तो इन परीक्षार्थियों को ऑनलाईन के भरे गये आवेदन पत्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा"। (संदर्भित पत्र राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(28) शिक्षा–6/2014/पार्ट बी दिनांक 01.06. 2017) को यथावत रखा गया है।

4. प्रपत्र–33 पृष्ठ सं. 12 बिन्दु सं. 12 "राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष योग्यजन प्रथम श्रेणी वर्ग परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में तृतीय भाषा (अनिवार्य) विषय में छूट प्रदान की गई है। परीक्षार्थी इच्छानुसार तृतीय भाषा विषय का चयन भी कर सकता है। शाला प्रधान द्वारा इसकी पूर्व सूचना बोर्ड को दिया जाना आवश्यक है" को विरोधाभासी होने से विलोपित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. CWSN परीक्षार्थियों हेतु सभी विषयों के प्रश्न बैंक एवं मॉडल पेपर बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सचिव
मा.शि.बोर्ड राज. अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2025 दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हे प्रेषित–

1–विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2–निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विज्ञान।
3–निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
4–उपशासन सचिव, राजस्थान सरकार (शिक्षा ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
5–निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6–निदेशक माध्यमिक स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7–निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8–सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर।
9–निजी सचिव माननीय प्रशासक महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
10–समस्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , राजस्थान, अजमेर।
11–समस्त अनुभाग अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
12–आई.टी.एण्ड. सेल शाखा।
13–रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सचिव
मा.शि.बोर्ड राज. अजमेर

G:\Cwsn Letter.Docx